भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4814

उत्तर देने की तारीख: 21.08.2025

प्रशिक्षण एवं कौशल विकास हेतु जनजातियों को वित्तीय सहायता

+4814. डॉ. इन्द्रा हांग सुब्बा:

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जनजातीय युवाओं के कौशल विकास हेतु कोई विशिष्ट योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पाँच वर्षों के दौरान जनजातीय युवाओं के प्रशिक्षण एवं कौशल विकास हेतु राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ग) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) में जनजातीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार की कोई योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय, लघु वनोपज (एमएफपी)/गैर-एमएफपी के मूल्य संवर्धन के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) और प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) योजनाओं के अंतर्गत वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) स्थापित करने के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इन वीडीवीके से जुड़े सदस्यों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण/कौशलीकरण इस योजना का एक अभिन्न अंग है। अब तक, देश भर में कुल 4624 वन धन विकास केंद्र स्वीकृत किए गए हैं, जिनसे जनजातीय युवाओं सहित 12.68 लाख सदस्य जुड़े हैं। वीडीवीके की स्थापना के लिए राज्य-वार स्वीकृत निधियां **अनुलग्नक** में दी गई हैं।

(ग) मंत्रालय के पास बहुराष्ट्रीय कम्पनियों (एमएनसी) में जनजातीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोई विशेष (विशिष्ट) योजना नहीं है।

दिनांक 21.08.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4814 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	वन धन विकास केंद्रों की स्थापना के लिए स्वीकृत राशि (लाख रुपये में)
1	अंडमान और निकोबार	2.8
2	आंध्र प्रदेश	5406.45
3	अरुणाचल प्रदेश	1590
4	असम	6315
5	छत्तीसगढ़	119.75
6	दादरा नगर हवेली एवं दमन और दीव	15
7	गोवा	135
8	गुजरात	1226.95
9	हिमाचल प्रदेश	55.5
10	जम्मू एवं कश्मीर	1457
11	झारखंड	1748.8
12	कर्नाटक	1894.2
13	केरल	429.1
14	मध्य प्रदेश	854.5
15	महाराष्ट्र	3316.2
16	मणिपुर	1871.8
17	मेघालय	2534.1
18	मिजोरम	3225
19	नागालैंड	4033.5
20	ओडिशा	388.4
21	राजस्थान	7205.5
22	तमिलनाडु	135.15
23	तेलंगाना	73.05
24	त्रिपुरा	677.25
25	उत्तर प्रदेश	315.95
26	उत्तराखंड	211.65
27	पश्चिम बंगाल	329.35
कुल		**45566.95**

*****